प्रेस नोट

दिनांक 11.01.2026

थाना बिवांर पुलिस द्वारा लूट की घटना का खुलासा 03 वांछित अभियुक्त अवैध तमंचा/कारतूस व लूट की सम्पत्ति/ माल सहित गिरफ्तार व 03 बाल अपचारी पुलिस निगरानी में।

पुलिस अधीक्षक महोदया जनपद हमीरपुर के निर्देशन अपराध नियंत्रण व वांछित वांरण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना बिवांर पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 08/2026 धारा 126(2)/191(2)/191(3)/140(3)/110/309(6) BNS बनाम 03 मोटरसाइकिल पर सवार 07 अज्ञात के विरुद्ध पंजीकृत किया गया था।

इसी क्रम में आज दिनाँक 11.01.2026 को थाना बिवांर पुलिस टीम द्वारा विवेचना के क्रम में प्रर्याप्त साक्ष्यो के आधार पर उपरोक्त मुकदमें से सम्बन्धित 03 वांछित अभियुक्तों को खोडा तिराहा बहद ग्राम कुनेहटा के पास से मुखबिर की सूचना पर लूटा गया एक अदद मोबाइल, लूटी गयी मोटरसाइकिल व पीली धातु की चैन व अवैध तमंचा/कारतूस के साथ गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। सम्पत्ति व अवैध तमंचा/कारतूस के बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस व धारा 3/25 आर्म्स एक्ट की बढोत्तरी की गयी। एवं घटना से सम्बन्धित 03 बाल अपचारी को नियमानुसार पुलिस निगरानी में लेकर अग्रिम आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। विवेचना प्रचलित है, विवेचना के दौरान अन्य तथ्यों/साक्ष्यों के प्रकाश में आने पर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जाएगी।

ज्ञातव्य है कि थाना बिवांर क्षेत्रान्तर्गत दिनांक 09.01.2026 को घटित लूट की घटना के सम्बन्ध में वादी मुकदमा विक्रम सिंह पुत्र श्री जयकरन सिंह निवासी ग्राम करगांव, थाना बिवांर, जनपद हमीरपुर द्वारा प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बिवांर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 08/2026 धारा 126(2)/191(2)/191(3)/140(3)/110/309(6) बीएनएस बनाम अज्ञात अभियुक्तगण के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया था।

उक्त अभियोग के अनावरण हेतु पुलिस द्वारा विवेचनात्मक कार्यवाही करते हुए मुखबिर की सूचना, सीसीटीवी फुटेज तथा अन्य साक्ष्यों के आधार पर पूछताछ के दौरान अभियुक्तगण के कब्जे से घटना में प्रयुक्त मोबाइल फोन, वादी से लूटी गई मोटरसाइकिल तथा पीली धातु की चैन आदि बरामद की गई। बरामदगी के सम्बन्ध में अभियुक्तगण से पूछने पर उनके द्वारा उपरोक्त बरामद वस्तुओं को दिनांक 09.01.2026 को वादी मुकदमा के साथ घटित लूट की घटना में प्राप्त किया जाना स्वीकार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1.अमित वर्मा उर्फ बरातीलाल पुत्र राजा राम अहिरवार उम्र करीब 19 वर्ष निवासी ग्राम सिचौरा थाना कवरई जनपद महोबा

2.हरीश वर्मा पुत्र राजीव कुमार उम्र 18 वर्ष निवासी ग्राम सिचौरा थाना कवरई जनपद महोबा हाल पता मोहल्ला विवेक नगर थाना कवरई जनपद महोबा

3.राजकुमार पुत्र चेतराम उम्र करीब 22 वर्ष निवासी सिंघनपुर बघारी थाना कबरई जनपद महोबा हाल पता ग्राम सिचौरा थाना कवरई जनपद महोबा

4. तीन बाल अपचारी को पुलिस निगरानी में लिया गया।

बरामदगी का विवरण:

1.एक अदद मोटरसाइकिल (वादी की)

2.लूट की चैन पीली धातु

3. घटना में प्रयुक्त 01 अदद तमंचा व 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर

4.घटना में प्रयुक्त 03 अदद मोटरसाइकिल बरामद

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1.प्रा0नि0 नन्दराम प्रजापति

2.उ0नि0 अंकित कुमार बैसला

3.उ0नि0 रविन्द्र कुमार
4.उ0नि0 विकास यादव
5.हे0का0 राजबहादुर सिंह
6.का0 हरिनन्द सिंह
7.का0 राजेश कुमार यादव
8.का0 आशीष कुमार
9.का0 अनिल कुमार
10. का0 मोहित कुमार